न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
24.2.21	वकील वादी उप.। मिसल वास्ते बहस दर. 22/3 जा. दी. दि. 12.5.21 को पेश हो।
	12/5/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब कोरोना अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 28/7/21 को पेश हो। रीडर
	28/7/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 25/8/21 को पेश हो। रीडर
25-8-21	वकील वादी उप०। मिसल वास्ते बहस दर. 22(3) जा० दी० दि० 8-9-21 को पेश हो।
8-9-21	वकील वादी उप०। वास्ते बहस दर० 22(3) जा० दी० दिनांक 6-10-21 को पेश हो।
6-10-21	वकील वादी उप०। वास्ते बहस दर० 22(3) जा० दी० दिनांक 17-11-21 को पेश हो।
1-12-21	आज पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई निर्णय नहीं हो सका दि० 1-1-22 को पेश हो।
1-1-22	आज पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पं० पर पेश हुई निर्णय नहीं हो दिनांक 1-2-22 को पेश हो।
	1-2-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 16-5-22 को पेश हो। रीडर

जुम्मा / हैलाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
16-3-22	वकील वादी उप० । वास्ते बहस ०२० 22(3) जा०दी० दिनांक 20-4-22 को पेश हो ।
20-4-22	वकील वादी उप० । वास्ते बहस ०२० 22(3) जा०दी० दिनांक 18-5-22 को पेश हो ।
	18-5-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं।~~ उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 29-6-22 को पेश हो। रीडर
	29-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 3-8-22 को पेश हो। रीडर
3-8-22	वकील वादी उप० । पत्रावली वास्ते बहस ०२० 23(3) में नियत थी लेकिन अदपन से आदेशिका वास्ते बहस 22(3) लिखा गया। अतः धारा 151 जा०दी० की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशिका दुरुस्त की जाकर पत्रावली वास्ते बहस ०२० 23(3) जा०दी० दिनांक 31-8-22 को पेश हो।
	31-8-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन है। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 21-9-22 को पेश हो। रीडर
21-9-22	वादी अधिवक्ता उप० । पत्रावली एकपक्षीय कार्यवाही में है। वादी के प्रार्थना पत्र O23R3 एवं 151 CPC पर बहस सुनी। वादी अधिवक्ता का कथन रहा कि दावा दायरी के समय कुछ तथ्य सहवन से लिखने से रह गए। उन तथ्यों के बिना वाद का निस्तारण संभव नहीं हो सकेगा। एवं अन्त में निवेदन किया कि वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस एवं दस्तावेजों के अवलोकन से

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
	स्पष्ट है कि न्यायहित एवं नैसर्गिक न्याय के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अधिकार है एवं साथ ही सम्पूर्ण तथ्यो के आधार पर निर्णय करना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, प्रार्थी को पुनः नये सिरे से वाद पेश करने की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। वाद नम्बरान से कम होकर बेच भण्डार हो।